

भारत सरकार Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy
नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र Nuclear Fuel Complex
अंशदायी स्वास्थ्य सेवायोजना अनुभाग CHSS Section

डाक - ईसीआईएल/ECIL Post
हैदराबाद Hyderabad-500062
तेलंगाना राज्य Telangana State

सं. Ref: NFC/CHSS/Admn/2025/957

दिनांक Date: 05.12.2025

परिपत्र / CIRCULAR

विषय Sub: भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जाने वाली सीएचएसएस सुविधाओं के संबंध में। CHSS facilities to the retired employees who have relinquished Indian Citizenship - Reg

प्रशासन के संज्ञान में ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रहे हैं कि भारतीय नागरिकता छोड़ने के बाद भी कुछ सेवानिवृत्त लाभार्थी सीएचएसएस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। Instances have come to the notice of Administration, NFC that some of the retired beneficiaries even after relinquishing Indian Citizenship are continuing to avail CHSS facility.

2. इस संबंध में, सभी लाभार्थियों के ध्यान में यह लाया जाना है कि सीएचएसएस नियमावली 1998 के खंड 2.1.10 (x) के अनुसार, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीएचएसएस सुविधाओं का लाभ उठाने के पात्र होने के लिए भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, उक्त नियमावली के खंड 4.2.2 के अनुसार, यह लाभार्थी की जिम्मेदारी है कि जैसे ही सीएचएसएस लाभार्थी इस योजना का लाभ के लिए यदि वह अयोग्य हो जाता है तो उसे यथाशीघ्र इसकी सूचना दे। In this regard, it is to bring to the notice of all the beneficiaries that in terms of Clause 2.1.10 (x) of CHSS Rules 1998, the CHSS beneficiaries should be a citizen of India for being eligible to avail CHSS facilities. Further, in terms of Clause 4.2.2 of the said Rules, it shall be the responsibility of the beneficiary to intimate as soon as any CHSS beneficiary becomes ineligible for the benefits of the Scheme and to surrender the cards.

3. वैसे सभी लाभार्थी जिन्होंने वर्तमान में कोई भी विदेशी पासपोर्ट रखा हुआ है और अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी है उन्हें एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे अपने सीएचएसएस कार्ड को तुरंत सरेण्डर करें। ऐसा नहीं किए जाने पर सीएचएसएस सुविधाओं को रद्द करने के साथ उनपर उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी। All the beneficiaries currently holding any foreign passport and have relinquished their Indian Citizenship are hereby advised to surrender their CHSS cards, forthwith, failing which action will be initiated as deemed fit apart from cancellation of CHSS facilities.

4. यह सक्षम प्राधिकारी, एनएफसी के अनुमोदन से जारी होता है। This issues with the approval of Competent Authority in NFC.

 5/12/2025

(डी. श्रीनिवासराव / D. Srinivas Rao)

प्रशासनिक अधिकारी / Administrative Officer-III

सभी संयंत्र/अनुभाग All Plants / Sections
सभी सूचनापट्ट All Notice Boards

प्रति Copy to:

1. मुख्य कार्यपालक, नाईस CE, NFC: सादर सूचनार्थ for kind information please
2. सभी उप मुख्य कार्यपालक/महा.प्रबं/क्षे.नि.क्रभनिहैए/उपमहा.प्रबं/.प्रधान/वरि.प्रबं/.प्रबं
/.उपप्रबं/.कार्या.प्रभारी DCEs/GMs/RD, HRPSU/DGMS/Heads/SMs/Mgrs/DMs/OICs
3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएचसी, ओएचसी, जेडसी(पी) व कोटा) / चिकित्सा अधीक्षक (ओएचसी)/ (सीएचसी) व
सीएचएसएस / मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा अधिकारीगण, एनएफसी
CMS (CHC, OHC, ZC(P) & Kota)/MS(OHC) / (CHC) & CHSS) /CMO/Medical Officer's, NFC
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, नाईस CAO, NFC/संयुक्त नियंत्रक(वित्त व लेखा), एनएफसी/JC(F&A), NFC
5. उपमहानिरीक्षक, पऊवि मुख्यालय / समादेष्टा, कें.औ.सु.ब
DIG, DAE Headquarters/Commandant, CISF
6. महासचिव, नाईस औ. का.संघ/ General Secretary, NFCIWU
7. अध्यक्ष, नाईस पर्य.कर्म.संघ/नाईस वैज्ञ. सहा. संघ/ नाईस अधिकारी संघ
President, NUFCOSSA/NFCSSAA/ NUFCOA

सूचनार्थ प्रति / Copy also for information to:

1. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,, पखनि, हैदराबाद / CAO, AMD, Hyderabad
2. प्रशासनिक अधिकारी, टीआईएफआर, हैदराबाद /Administrative Officer, TIFR, Hyderabad
3. प्रभारी वैज्ञानिक, सीसीसीएम, हैदराबाद / Scientist-in-Charge, CCCM, Hyderabad
4. प्रमुख, आरसी, जोनाकी, ब्रिट, हैदराबाद / Head, RC, Jonaki, BRIT, Hyderabad
5. प्राचार्य, आईसीएस-I/II, हैदराबाद / Principal, AECS-I/AECS-II, Hyderabad
6. प्रभारीअधिकारी, एनपीसीआईएल,ईसीआईएलकैपस, हैदराबाद
Officer-in-Charge, NPCIL, ECIL Campus, Hyderabad
7. प्रबन्धक - क्रय, आरपीयू (एम) शहरी कार्यालय, नाईस परिसर, हैदराबाद
Manager-Purchase, RPU (M) City Office, NFC Premises, Hyderabad
8. सेवानिवृत्त कर्मचारीगण/Retired Employees